

पत्रांक-राजभाषा/हि.प.-47/2019/255/रा०

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

सतीश कुमार जायसवाल
सरकार के संयुक्त सचिव

JS(AKS)

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखण्ड विधानसभा/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त के सचिव/सभी उपायुक्त/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/सभी प्रभारी प्रमण्डलीय उपनिदेशक, राजभाषा।



रांची, दिनांक 31 दिसंबर, 2019

विषय : दिनांक 09.02.2020 को राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राजपत्रित/अराजपत्रित सरकारी सेवकों के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन दिनांक 09.02.2020 को 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक किया जाएगा। दिनांक 11.08.2019 को सम्पन्न हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का परीक्षाफल आदेश/ज्ञाप सं. 249/रा०, दिनांक 27.12.2019 द्वारा प्रकाशित और प्रेषित है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची तथा प्रमाणपत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के वेबसाइट <http://dopjharkhand.gov.in> पर भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा परीक्षाफल डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

2. राजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन सचिवालय एवं सभी प्रमण्डलीय मुख्यालय में और अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का आयोजन सचिवालय, प्रमण्डलीय मुख्यालय और जिन जिलों में प्रमण्डलीय मुख्यालय नहीं है, वहाँ जिला मुख्यालय में किया जाएगा।

3. सचिवालय एवं संबद्ध कार्यालयों के लिए परीक्षा का संचालन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय) करेगा।

4. पलामू तथा कोल्हान प्रमण्डलों में परीक्षा का संचालन आयुक्त के सचिव द्वारा किया जाएगा। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल रांची, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग तथा संताल परगना प्रमण्डल दुमका में परीक्षा का संचालन प्रभारी प्रमण्डलीय उपनिदेशक, राजभाषा द्वारा किया जाएगा। जिन जिलों में प्रमण्डलीय मुख्यालय नहीं है, वहाँ परीक्षा का संचालन उपायुक्त द्वारा किया जाएगा।

(प्रधान सचिव/सचिव कोषांग)

68

दिनांक 09.01.2020

5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी यथास्थिति अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से सचिवालय तथा संबंधित प्रमण्डलीय या जिला मुख्यालयों में दिनांक **20.01.2020** तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करेंगे। आवेदक आवेदन पत्र तथा प्रवेश पत्र पर अपने हाल का पासपोर्ट आकार का एक-एक फोटो चिपकाएंगे, जो निश्चित रूप से संबद्ध कार्यालय प्रधान द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए।

6. आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 20.01.2020 (सोमवार)** के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. उपायुक्त/उपसचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/आयुक्त के सचिव/प्रमण्डलीय उपनिदेशक, राजभाषा विभाग द्वारा सभी आवेदनों की भली भांति जाँच-पड़ताल करने के बाद ही प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे।

8. प्रमण्डलीय एवं जिला मुख्यालय प्रश्नपत्र एवं सादी उत्तर पुस्तिकाओं हेतु मांग-पत्र दिनांक **24.01.2020 (शुक्रवार)** तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।

9. विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश, निदेश के आलोक में वैसे सरकारी सेवक, जिन्हें उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, का आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।


10. सम्बद्ध उपायुक्त/आयुक्त के सचिव/प्रभारी प्रमण्डलीय उपनिदेशक, राजभाषा यथासंस्चित संख्या में सादी उत्तर पुस्तिकाएँ एवं मुहरबंद पैकेट में प्रश्न-पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक **06.02.2020 (बृहस्पतिवार)** को कार्यालय अवधि में प्राधिकार पत्र के साथ हस्ताक्षर अनुप्रमाणित कर अपने अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मचारी को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय) भेजेंगे। प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षित सामग्री प्राप्त कर प्रथम उपलब्ध सवारी से वापस जाएंगे और सक्षम पदाधिकारी को सुपुर्द कर देंगे।

11. पत्र संख्या-39 दिनांक 06.07.2001 के अधीन परीक्षाओं के संचालन संबंधी दिए गए निदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

12. उपर्युक्त कार्यक्रम एवं निदेशों की सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालयों को शीघ्र देने की व्यवस्था की जाय।

अनुलग्नक : आवेदन प्रपत्र।

विश्वासभाजन



(सतीश कुमार जायसवाल)

सरकार के संयुक्त सचिव


झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:-05/विविध-14-68/2016:- **509**

रॉची दिनांक:- **17/01/2020**

प्रतिलिपि:-प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, यूनिट आदित्यपुर, जमशेदपुर/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग/अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जमशेदपुर/निदेशक, भू-गर्भ जल निदेशालय, रॉची/उप समाहर्ता, राजस्व प्रमण्डल, रॉची/सभी पुनर्वास पदाधिकारी/सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, रॉची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/विभागीय कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अवधेश कुमार जायसवाल)

सरकार के अवर सचिव।

आवेदन पत्र का फारम

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा/हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा।

आवेदन पत्र

कार्यालय प्रधान
द्वारा अभिप्रमाणित
पासपोर्ट आकार का
फोटो यहां
चिपकाएं।

1. आवेदक का नाम :
2. पदनाम :
3. राजपत्रित अथवा अराजपत्रित :
4. जी.पी.एफ./सी.पी.एफ./प्रान सं० :
5. विभाग/कार्यालय का नाम :
जिला प्रमण्डल
6. शैक्षणिक योग्यता : मैट्रिक ☐ ननमैट्रिक ☐
7. क्या आप पूर्व आयोजित किसी परीक्षा में असफल हुए हैं :
8. आवेदक का हस्ताक्षर
9. आवेदन करने की तिथि :
10. अग्रसारण पदाधिकारी का तिथि सहित हस्ताक्षर एवं मुहर :

प्रवेश पत्र आवेदक स्वयं भरें

1. आवेदक का नाम :
2. पदनाम :
3. जी.पी.एफ./सी.पी.एफ./प्रान सं० :
4. विभाग/कार्यालय का नाम :
5. शैक्षणिक योग्यता : मैट्रिक ☐ ननमैट्रिक ☐
6. आवेदक का हस्ताक्षर :
7. आवेदक का हस्ताक्षर तथा फोटो अभिप्रमाणित
करनेवाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर :

कार्यालय प्रधान
द्वारा अभिप्रमाणित
पासपोर्ट आकार का
फोटो यहां
चिपकाएं।

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

1. परीक्षा की तिथि : 2. रोल नंबर :
3. परीक्षा का समय : 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक
4. परीक्षा केन्द्र का नाम :

संयुक्त सचिव/उपनिदेशक,
कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा/
उपायुक्त/आयुक्त के सचिव/
प्रमण्डलीय उपनिदेशक, राजभाषा

नोट - परीक्षा-कक्ष में पुस्तक तथा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, यथा मोबाइल, ब्लूटूथ आदि के साथ प्रवेश वर्जित है।

